रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/96.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 6 जून, 1996/16 ज्येष्ठ, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग
(सचिवालय प्रशासन सेवाएं-I)

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मई, 1996

संख्या कार्मिक (सचि0 प्रशा0-I) (बी) (2)-9/75-पार्ट-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) हिमाचल प्रदेश में विधि अधिकारी (हिन्दी) (वर्ग-II राजपत्रित) के पद के लिए निम्नलिखित भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) विधि अधिकारी (अंग्रेजी) (वर्ग-II राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृतियां.—(1) अधिसूचना संख्या पर 12-3/74-(एस0 ए0 एस0-1) तारीख 4-10-1975 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सहायक (विधि) वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी नियम 2 (1) के अधीन निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
मुख्य सचिव।

उपाबन्ध "अ"

सचिवालय प्रशासन सेवाएं विभाग, हिमाचल प्रदेश में विधि अधिकारी (अंग्रेजी) राजपत्रित (वर्ग-II) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।

1.	पद का नाम	विधि अधिकारी (अंग्रेजी)
2.	पदों की संख्या	9 (नौ)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-II (राजपत्रित)
4.	वेतनमान	रुपये 2000-60-2060-70-2550-75-3000-100-3500.
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु।	18 से 35 वर्ष:

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्ति किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आनुदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पंजीकृत सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो

		ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/लिए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/लिए गए थे।
		(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।
		(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	(क) अनिवार्य :
		(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम विधि स्नातक की व्यवसायिक डिग्री या इसके समतुल्य और।
		(ii) अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
		(ख) वांछनीय अर्हताएं:
		हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	(क) आयु : लागू नहीं (ख) शैक्षिक अर्हताएं : जैसा कि कालम 7 (i) और में दर्शाया गया है।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10.	भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
11.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।	वरिष्ठ सहायकों में से, जिनका सम्बन्धित क्षेत्र में 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा सहित 6 वर्ष संयुक्त नियमित सेवाकाल हो प्रोन्नति द्वारा सेवाकाल हो और शैक्षणिक योग्यता जैसी कि कालम (7) (i) में दर्शाया गया है, प्रोन्नति द्वारा। ऐसा न होने पर लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहायक/वरिष्ठ सहायकों में से, जिनका सम्बन्धित क्षेत्र में संयुक्त रूप से 16 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल हो और शैक्षणिक योग्यता जैसा कि कालम 7 (i) में दर्शाया गया है, प्रोन्नति द्वारा। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी :— (i) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगे : परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम 3 वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम होगी: परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा। स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा

	जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज रूल्ज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों। (2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी : परन्तु 31-3-1991 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा इसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ।	जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है— (क) भारत का नागरिक; या (ख) नेपाल की प्रजा; या (ग) भूटान की प्रजा; या (घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों कीनिया, यूगांडा, युनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पहले तांगानिका और जन्जीबार), जाम्बिया मालवा, जेयरे और इथोपिया से भारत में स्थाई निवास के आश्य से प्रवास किया है : परन्तु प्रवर्ग (ख) (ग) (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत

सरकार द्वारा पात्रता-प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जायेगा ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।

सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर, और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठयक्रम, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/पिछड़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा

(1) सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर यथा संशोधित, विभागीय परीक्षा नियम, 1976 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी, अन्यथा वह निम्नलिखित के लिए पात्र नहीं होगा :—

(क) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए,

(ख) परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् भी स्थायीकरण के लिए, और

(ग) आगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए :

परन्तु उस अधिकारी से जिसने इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व, किन्हीं नियमों के अधीन पूर्णतया या अंशतः विभागीय परीक्षा पारित की है, यथास्थिति पूर्णतः या अंशतः परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए इन नियमों के अधिसूचित किये जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उससे इन नियमों के अधीन विहित विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए इन नियमों के अधिसूचित किये जाने से पूर्व

कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी, उससे 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

(1) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए, और

(2) परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्थाईकरण के लिए ।

(2) किसी अधिकारी से अपनी प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, यदि उसने निम्नतर राजपत्रित पद पर ऐसी परीक्षा पहले ही पारित कर ली हो ।

(3) सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से असाधारण परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करके विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को विभागीय परीक्षा से पूर्णतः या भागतः छूट मंजूर कर सकेगी, परन्तु यह तब जब कि ऐसे अधिकारी पर उसकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से पूर्व किसी अन्य उच्चतर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना सम्भाव्य न हो ।

18. शिथिल करने की शक्ति — जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. PER (SAS-I) B (2)-9/75-III-Part-III, dated* 24-5-1996, *as required under clause* 3 *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

PERSONNEL DEPARTMENT

(Secretariat Administration Services-I)

NOTIFICATION

Shimla-2, 24*th May*, 1996

No. PER (SAS-I) B (2)-9/75-III.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Law Officer (English) (Class-II Gazetted) in the Department of Personnel (Secretariat Administration) Himachal Pradesh, as per Annexure 'A' attached to this notification, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) The rules may be called Law Officer (English) (Class-II Gazetted) Department of Personal (Secretariat Administration), Himachal Pradesh Recruitment and Promotion Rules, 1996.

2. These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and saving.*—(1) The Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Legal (Class-III Non-Gazetted) in Himachal Pradesh Secretariat notified *vide* notification No. Per 12-3/74-SAS-I, dated 1-10-1975 and amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules, so repealed under rule 2 (1) *supra* shall be deemed to have been validly done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Chief Secretary.

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF LAW OFFICER (ENGLISH) (GAZETTED CLASS II) IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL, SECRETARIAT ADMINISTRATION SERVICES, HIMACHAL PRADESH

1.	Name of the post	Law Officer (Hindi)
2.	Number of posts	3 (Three).
3.	Classification	Class-II (Gazetted).
4.	Scale of Pay	Rs. 2000-60-2060-70-2550-75-3000-100-3500.
5.	Whether selection post or non-selection post.	Selection.
6.	Age for direct recruitment	Between 18 and 35 years:
		Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:
		Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis had become overage on the date when he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment:
		Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the

extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous bodies who happened to be Govt. servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

. Minimum educational and other qulifications required for direct recruits.

(*a*) *Essential* :

(1) A Professional degree in Law from recognised University or its equivalent; and

(2) At least 5 years experience as an Advocate.

(*b*) *Desirable qualification* :

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.

Age : Not applicable.
Educational qualifications : As mentioned in Column No. 7(1) above.

9.	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	(*i*) 50% by promotion failing which by direct recruitment. (*ii*) 50% by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.	(*i*) By promotion from amongst Senior Assistants with 6 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service rendered upto 31-3-1991 in the related field and Educational Qualification as prescribed in Column No. 7(1) above. (*ii*) Failing which by promotion from Clerks/ Senior clerk/Junior Assistants/Senior Assistants with 16 years combined regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service (rendered up to 31-3-1991) in the related field and Educational Qualification prescribed in Column No. 7 (1) above. (*i*) In all cases of promotion, the *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-91, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition:— (*ii*) that in all cases where a junior persons becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1991) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account

	of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. *Explanation.*—The last proviso shall not render the junior incumbents in-eligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be *ex*-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of *ex*-Servicemen (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. (2) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service : Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the law
14. Essential requirement of a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be :— (*a*) a citizen of India, or (*b*) a subject of Nepal, or (*c*) a subject of Bhutan, or (*d*) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; (*e*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and

Ethopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (*b*), (*c*), (*d*) and (*e*) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test and if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

16. Reservation

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes and other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination

(1) Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1976 as amended from time to time, failing which he shall not be eligible to :—

(*i*) Cross the efficiency Bar next due.

(*ii*) Confirmation in the service even after completion of probationery period, and

(*iii*) Promotion to the next higher post provided that an Officer who has qualified the Departmental Examination in whole or in part prescribed under any Rules before the notification of these Rules shall not be required to qualify the whole or in part of the examination as the case may be :

Provided further that an officer for whom no Departmental Examiantion was prescribed prior to the Notification of these rules and who has attained age age of 45 years on the 1st March, 1976 shall

not be required to qualify the Departmental Examination prescribed under these Rules:

Provided further that an officer for whom no Departmental Examination was prescribed prior to the Notification of these Rules and who had not attained the age of 45 years on 1-3-1976 shall not be required to qualify the Departmental Examination prescribed under these Rules after attaining the age of 50 years for the purpose of (*i*) Crossing of Efficiency Bar next due and (*ii*) confirmation in the service after completion of probationery period.

(2) An Officer on promotion to higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.

(3) The Government may in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, grant in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing, exemption in accordance with the Departmental Examination Rules to any class or category of persons from the Departmental Examination in whole or in part provided that such officer is not likely to be considered for any other higher promotion before the date of his superannuation.

Power to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writting and in consultation with the H. P. Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।